

Most Important Terms of Polity

नाजिज्म :

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर की पार्टी के सदस्य जर्मनी में "नाजी" के नाम से जाने जाते थे और नाजियों के द्वारा प्रचारित विचारधारा पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थी जो "फासिज्म" में विश्वास करती थी और अपनी आर्यन जाति का सर्वश्रेष्ठ मानकर संसार में सर्वोपरि घोषित करती थी। फासिज्म व जाति का संयुक्त रूप "नाजिज्म" (Nazism) कहलाता है।

न्यूक्लियर अम्ब्रेला :

परमाणु बम द्वारा युद्ध लड़े जाने की स्थिति में "Nuclear Umbrella" संरक्षा की गारंटी सदृश है !

नक्सलवादी (Naxalites)

हिंसा द्वारा समाज व राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने (जैसा कि चीन के माउत्से तुंग की विचारधारा थी) की मंशा से सर्वप्रथम नक्सलवाड़ी, पश्चिम बंगाल में 1967 में चारु मजुमदार के नेतृत्व में किसानों व मजदूरों ने प्रयत्न किया था। यहीं से इस प्रकार का प्रयत्न करने वालों को "नक्सलवादी" तथा इस व्यवस्था में विश्वास रखने की नीति को नक्सलवाद कहा जाता है। इनका विश्वास है कि – "क्रांति का अभ्युदय बंदूक की नली से होता है।"

न्यायिक विधि निर्माण :

विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से भिन्न, ऐसे कानून जो किसी मामले विशेष की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा दिए गए व्यवस्था के आधार पर बन जाते हैं।

निन्दा प्रस्ताव :

व्यवस्थापिका के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या निन्दा करने का प्रस्ताव (Vote of Censure) सदन में प्रस्तुत करें और बहुमत मिलने पर पारित कर सकें। इससे मंत्रियों या प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में सरलता रहती है।

पॉलिटिकल सैबोटेज :

जब एक दल या सरकार दूसरे दल या सरकार को गुप्त रूप से नष्ट करने का प्रयत्न करती है, तो उसे “Political Sabotage” कहते हैं।

पंचायती राज :

स्थानीय स्वराज लाने के लिए, अपना विकास स्वयं करने के लिए तथा अपना न्याय स्वयं करने के लिए जो व्यवस्था प्रस्तुत की गई, उसे पंचायती राज कहते हैं।

प्रजातंत्र (Democracy)

अब्राहम लिंकन के शब्दों में “Government of the People, by the People, for the People” प्रजातंत्र है। यह वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मतदाता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका में कानून बनाते हैं। इन निर्मित कानूनों द्वारा ही शासन चलाया जाता है।

पिंग पोंग डिप्लोमैसी :

यह कूटनीति साम्यवादी चीन से संबंधित है। इसके अंतर्गत चीन बाहरी देशों को जिनसे उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, “टेबल टेनिस” टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित करता है और मित्रता संबंधों को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, खेलों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की कूटनीति को “Ping Pong Diplomacy” कहते हैं।

प्रोटोकॉल :

दो देशों के बीच कूटनीतिक आचरण के नियम को “प्रोटोकॉल” कहते हैं।

प्रिवीपर्स :

स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें प्राप्त हुई थीं, तो उनके शासकों को सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं तथा अनुदान देना स्वीकार किया गया था। इन सुविधाओं तथा अनुदानों को “Privy Purse” कहा जाता है।

प्रस्तावना :

किसी भी राष्ट्र के संविधान का आरंभिक परिचय प्रदान करने वाले भाग को प्रस्तावना (Preamble) कहते हैं। इसमें उस संविधान की भावना तथा उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण होता है।

प्रत्ययानुदान :

किसी राष्ट्रीय आपात के लिए धन की अप्रत्याशित मांग को पूर्ण करने के लिए (जिसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता) सदन प्रत्ययानुदान के रूप में एकमुश्त धनराशि दे सकता है।

प्रभुत्व :

इस शब्द का प्रयोग अर्थात् “Hegemony” का प्रयोग नेतृत्व के संदर्भ में किया गया है। इसका आशय होता है कि किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों पर प्रबल प्रभाव।

प्रतिषेध :

प्रतिषेध (Prohibition) लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाने वाली एक निषेधाज्ञा है, जिसके अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर या कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध कार्रवाई न करें। प्रतिषेध केवल न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं।

प्रतिनिहित विधान :

संसद के पास समय तथा विशेषज्ञता के अभाव के कारण वह केवल विधियों की मूल रूपरेखा बनाकर अन्य सीमाओं के भीतर विस्तृत नियम-विनियम सरकार पर ही छोड़ देती है। इसे प्रतिनिहित विधान अथवा अधीनस्थ विधान कहते हैं।

प्रत्यायुक्त विधान :

वह विधान जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को अधिकार प्रदान किया हो, प्रत्यायुक्त (Delegated Legislation) कहलाता है।

पार्टीलेस प्रजातंत्र :

वह प्रजातंत्रीय व्यवस्था जिसमें एक राजनीतिक दल हो, "पार्टीलेस प्रजातंत्र" (Partyless Democracy) कहलाता है।

पोलित ब्यूरो :

साम्यवादी दल की सर्वोच्च सत्ता जो नीति निर्धारण का कार्य करती है, "Polit Bureau" कहलाती है।

प्रजातांत्रिक समाजवाद :

उस व्यवस्था को प्रजातांत्रिक समाजवाद होता है, किन्तु सरकार की नीतियां, कार्य व विचारधारा समाजवाद पर केन्द्रित होती हैं। इस व्यवस्था में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय व सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने का प्रयत्न प्रजातांत्रिक पद्धति से किया जाता है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र :

इस राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का निषेध किया जाता है। इस व्यवस्था में कोई भी कानून पारित करने अथवा किसी विषय पर निर्णय करने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है न कि प्रतिनिधि को।

परमादेश :

परमादेश (Mandamus) का शाब्दिक अर्थ होता है – "हम आज्ञा देते हैं।" यह लेख किसी सार्वजनिक या अर्द्धसार्वजनिक निकाय के लिए जारी किया जाता है, जब वह अपने लोक प्रवृत्ति के किसी वैध कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यह आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं अपितु स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।

प्रादेशिक समुद्र :

किसी राज्य की मुख्य भूमि से लगा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्य समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र कहलाता है, जिस पर तटीय राज्य को कर, मत्स्य उद्योग, सुरक्षा, नौ संचालन आदि की दृष्टि से पूर्ण आधिपत्य होता है।

पॉवर पॉलिटिक्स :

उस राजनीति को "पॉवर पॉलिटिक्स" (Power Politics) कहते हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्ता हथियाने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

प्रेसर ग्रुप :

दबाव (Pressure) या हित समूह से तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति या मनोनयन, सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण, उनके प्रशासन एवं निर्वाचन तथा समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

पूरक बजट :

यदि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत (Sanctioned) धनराशि अपर्याप्त मालूम पड़े अथवा वर्ष के दौरान पूरक अतिरिक्त खर्च के लिए कोई ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो जाए, जिसके बारे में बजट के समय विचार न किया गया हो या किसी सेवा पर वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्च हो गया हो, तो इन परिस्थितियों में खर्च हेतु राष्ट्रपति "पूरक बजट" (Supplementary Demand for Grants) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्यावाहन :

कार्य-विधि से पूर्व असंतुष्ट मतदाताओं की निश्चित संख्या द्वारा प्रार्थना-पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को समाप्त करने को प्रत्यावाहन (Re-call) कहा जाता है।

फ्लोर क्रॉसिंग :

किसी राजनीतिक दल के सदस्य जब संसद या विधानसभा में अपना दल त्याग कर विरोधी दल अथवा सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाते हैं, तो इसे "Floor Crossing" कहा जाता है।

फोर्थ वर्ल्ड (Forth World)

"फोर्ड वर्ल्ड" उन देशों को कहा जाता है, जो पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों द्वारा कीमतें बढ़ाने के कारण "आर्थिक संकट" में पड़ गए हैं। इनमें अधिकतर तृतीय विश्व (Third World) के अर्द्ध विकसित या विकासशील देश शामिल हैं। ये देश अब इस आर्थिक संकट के कारण अपने विदेशी ऋण चुकाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

फिफ्थ कॉलम :

किसी देश में अन्य देश के नागरिक गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने अथवा नागरिकों में असंतोष उत्पन्न कर विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं। उन व्यक्तियों को "फिफ्थ कॉलम" (Fifth Column) कहते हैं।

फोर्थ स्टेट :

”फोर्थ स्टेट” (Fourth State) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडमण्ड बर्क द्वारा किया गया था। इसका आशय ”प्रेस” (Press) से है।

फेबियन :

फेबियन (Fabian) एक प्रकार का विकासात्मक समाजवादी दर्शन है, जो 1884 में प्रत्यक्ष हुआ, जब कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा ”फेबियन सोसाइटी” का निर्माण किया गया। फेबियनवाद के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को प्राप्त करने का अधिकार समान एवं सबके लिए है। इस सिद्धांत के अनुसार भूमि एवं पूंजी पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। उनका मत था कि धन का वितरण समान हो, जिससे आय की असमानता दूर किया जा सके। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी पक्षधर था।

फिलिबस्टर :

मतदान के प्रस्तुत किसी मुद्दे को निलंबित करने के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक भाषण करने (जो लगभग अप्रासंगिक होता है) को “Filibuster” कहते हैं।

फासिज्म :

वह व्यवस्था या विचारधारा जिसमें राज्य को व्यक्ति से बड़ा माना जाता है और राज्य की रक्षा के लिए उसकी सब शक्तियां एक व्यक्ति में निहित कर दी जाती हैं, तो यह “Fasicism” कहलाती है।

बन्द :

समस्त शहर या राज्य या देश के व्यापारिक, औद्योगिक एक अन्य समस्त संस्थाओं को बंद करने का जो आह्वान किया जाता है।

बुर्जुआ :

व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, जमींदार वर्ग जो कि सामंतों के बाद आते थे, मध्यम वर्ग के कहलाते थे, बुर्जुआ (Bourgeoise) कहलाते हैं। मजदूर वर्ग के साथ-साथ साम्यवादी भी इनसे घृणा करते रहें हैं।

बूट लेगिंग :

गैर-कानूनी तरीके से शराब बनाने तथा बेचने के कार्यों को “Boot Legging” कहा जाता है।

ब्रेन वाशिंग :

जब कोई समुदाय, राज्य अपने लोगों में वही विचार भरता है, जो उसके हैं और लोगों के स्वतंत्र विचारों को नष्ट कर दिया जाता है, तब उसे “Brain Washing” कहते हैं।

बांस का पर्दा :

चीन की साम्यवादी सरकार के नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को बांस का पर्दा (Bamboo Curtain) कहते हैं। इसके चलते वहां के नागरिकविदेशोंमें आ-जा नहीं सकते हैं तथा अपनी देश की कोई बात बाहर नहीं कह सकते हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण :

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का शाब्दिक अर्थ है कि “शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो।” यह “रिट” एक आदेश के रूप में होता है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बनाया है, यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करे जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है तथा यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। इस लेख की (Writ) अवज्ञा पर न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

बायकॉट :

किसी व्यक्ति, सभा, दल, सरकार का बहिष्कार करना “Boycott” कहलाता है।

बोल्शेविज्म :

रुस की क्रांतिकारी साम्यवादी विचारधारा जिसके प्रभावसे रुस में लेनिन के नेतृत्व में 1917 की “बोल्शेविक क्रांति” हुई थी, “Bolshevism” कहलाती है।

मध्यम मार्गीय :

अति उग्र विचारों का न होकर जब कोई व्यक्ति या दल उसके विपरीत विचारधारा का पोषण करते हैं, तो मध्यम मार्गीय (Centrist) कहलाते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकाल में व्यवस्थापिका के उग्र एवं उदार विचारों वाले सदस्यों के मध्य में और अध्यक्ष के सामने बैठने वाले सदस्यों को भी यह संज्ञा दी जाती थी।

मार्क्सवाद (Marxism)

कार्ल मार्क्स (1818-83) द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को मार्क्सवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया कि समाज के विकास में आर्थिक संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक ये समस्त मानव समाज का इतिहास “वर्ग संघर्ष” का इतिहास रहा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में एक निश्चित सीमा तक शोषण बढ़ जाने के पश्चात् श्रमिक क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं।

मास कम्यूनिकेशन :

सामूहिक संचार अथवा जनसंपर्क वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाएं अथवा जानकारी संचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस आदि के द्वारा जनता (Mass) तक पहुंचाई जाती है।

मोनार्की :

इस शासन व्यवस्था में सरकार का प्रमुख वंशानुगत होता है। ऐसे राज्य का राज्याध्यक्ष जीवनपर्यंत शासन करता है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतानों का ही उस पद पर अधिकार होता है।

मैनीफेस्टो :

किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के पूर्व अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों का घोषणा-पत्र मैनीफेस्टो कहलाता है।

मैन्डेट :

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु अपनाई गई व्यवस्था जिसके अंतर्गत विकसित राष्ट्रों को उपनिवेशों के प्रशासन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

युवा तुर्कस् :

किसी दल के उन युवकों को कहते हैं जो दल की पिछड़ी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।

यूथेनेशिया :

किसी व्यक्ति को किसी ठीक न होने वाले रोग, दुःख व दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर मार देने के नियम, कानून या व्यवस्था को यूथेनेशिया कहा जाता है।

राष्ट्रीयकरण :

किसी राष्ट्र की सरकार कोई सेवा या उद्योग निजी क्षेत्र से छीनकर अथवा कोई उद्योग प्रारंभ करके सार्वजनिक हित में स्वयं चलाती है, तो सरकार को ऐसा करना उस सेवा या उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना कहलाता है।

रिपैट्रिएशन :

स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को “Repatriation” कहा जाता है, विशेषतया युद्धबंदियों का स्वदेश वापस आना “रिपैट्रिएशन” कहलाता है।

राइटिस्ट :

ऐसे रूढ़िवादी लोग जो समाजवादव साम्यवाद में विश्वास नहीं करते हैं तथा राष्ट्रवादी होते हैं, “Rightist” कहलाते हैं। इनको “प्रतिक्रियावादी” भी कहा जाता है।

लाल फीताशाही :

जब किसी सरकारी कार्यालय द्वारा किसी कार्य के कार्यान्वयन में बिना वजह देरी की जाती है, जिससे उस कार्य का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, तो इसे “लाल फीताशाही” (Red Tapism) कहा जाता है।

लेम डक सेशन (Lame Duck Session)

यह व्यवस्थापिका का वह सत्र है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो, किन्तु पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही हो। वस्तुतः “लेम डक” व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित न हो सके हों।

लेखानुदान :

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किसी बजट प्रावधान या कर प्रस्ताव पर बहस के लिए संसद को पूर्ण अवसर प्रदान करती है। बजट पारित होने के पहले यह आवश्यक है कि सरकार देश को चलाने के लिए अपने पास पर्याप्त धन रखे। यह एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत किया जा सकता है।, जिसे “लेखानुदान” (Vote on Account) कहा जाता है। संविधान के “अनुच्छेद 116” के अंतर्गत “लेखानुदान” लोकसभा को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह बजट न पारित होने तक के लिए अग्रिम धन ले सकता है। सामान्यतया लेखानुदान दो माह की अवधि के लिए पारित किया जाता है। परन्तु, चुनाव वर्ष में यह अवधि 4 माह तक हो सकती है। यह लेखानुदान सरकार के “संचित निधि” से लिया जाता है।

लोक कल्याणकारी राज्य :

लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) अथवा सरकार का मूल उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है। इसकी सभी नीतियां संपूर्ण वर्ग के विकास के उद्देश्य से निर्मित होती हैं।

विभक्ति :

जब एक ही दल के लोग मतभेदों अथवा हितों के आधार पर अलग होकर दो या अधिक भागों में बंट जाते हैं तो विभाजन या विभक्ति (Split) कहते हैं।

व्यक्तित्व की लहर :

किसी देश के लोग जब किसी व्यक्ति का अत्यधिक सम्मान व पूजा करने लगते हैं तो उसे व्यक्ति की लहर या "Personality Cult" कहते हैं।

वयस्क मताधिकार :

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक का सक्रिययोगदान अनिवार्य माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देश के वयस्कों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें जाति, धर्म, वर्ण एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता अर्थात् वे बिना किसी भेदभाव के मताधिकारका प्रयोग कर सकते हैं और एक स्वस्थ सरकार के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भारत तथा अमेरिका में वयस्क आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

विधि का शासन :

इसका अर्थ होता है कि संबंधित राज्य में कोई व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च नहीं है अपितु विधि सर्वोच्च है। इस प्रकार के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं तथा उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है।

संसद का आवहान करना :

जब किसी निश्चित तिथि तथा समय पर राष्ट्रपति संसद को बुलाना या संसद का आवहान करना (Summoning of Parliament) कहते हैं। संसद के सभी सदस्यों को उसका आदेश भेजा जाता है और उन्हें अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सत्रावसान :

राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा संसद के अधिवेशन के समापन को सत्रावास (Prorogation) कहते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के अधिवेशन को समाप्त करना भी सत्रावसान कहलाता है।

सदन का स्थगन :

संसद के प्रत्येक सदन के अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। स्थगन के बाद सदन की पुनः बैठक बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को है।

सचेतक (Whip)

एक प्रकार का आवश्यक निर्देश है, जो दलीय अनुशासन के लिए प्रयुक्त होता है। किसी भी संसद अथवा विधानमण्डल या अन्य समानांतर संस्था में जब किसी दल विशेष का नेता अपने दल के सभी सदस्यों को किसी विशेष का नेता अपने दल के सभी सदस्यों को किसी विशेष परिस्थिति में एकत्रित होने के लिए आदेश जारी करता है तो उसे "व्हिप" कहा जाता है। "व्हिप" जारी करने पर संबंधित दल का सदस्य उसका उल्लंघन करता है तो वह "दल बदल निरोधक कानून" के तहत दल से निष्कासित भी किया जा सकता है।

समाजवाद (Socialism)

व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद के विपरीत व्यवस्था समाजवाद है। जिस राजनीतिक-प्रशासनिक सिद्धान्त के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्णसमाज के विकास का आधार बनाया जाता है उसे समाजवाद कहते हैं। इसका आदर्श है – समाज में समानता उत्पन्न करना, किन्तु यह वर्गों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धान्तों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें न तो पूंजीवाद व्यवस्था की भांति व्यक्ति हावी रहता है और न ही साम्यवाद की भांति व्यक्ति हावी रहता है और न ही साम्यवाद की भांति आर्थिक विकास पर सरकार का पूर्णनियंत्रण रहता है।

सार्वभौमिक मताधिकार :

जब किसी लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना मनदान का अधिकार दिया जाता है, तो उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं।

संचित निधि :

भारतीय संविधान के "अनुच्छेद 266" के अंतर्गत भारत की "संचित निधि" (Consolidated Fund) का उपबंध है। इस निधि में करों, ऋणों, अग्रिम राशियों आदि द्वारा सराकर को प्राप्त सभी राजस्व (Revenue) जमा किये जाते हैं। इस निधि से धनराशि संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग अधिनियम द्वारा ही निकाली जा सकती है।

सांविधानिक सरकार :

संविधान के उपबंधों द्वारा सीमित तथा संविधान के प्रावधानों के अनुकूल चलाई जाने वाली सरकार को संविधानिक सरकार कहते हैं।

समाजवादी ढंग का समाज :

समाज के उस ढांचे को "समाजवादी ढंग का समाज" (Socialistic Pattern Of Society) कहते हैं, जिसमें समाजवाद अपनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग में समानता लाई जाएगी

सर्वोदय (Sarvodaya)

सबके कल्याण के दर्शन को "सर्वोदय" कहते हैं। अभिप्राय यह है कि कोई राजनीतिक मान्यता स्थापित की जाती है, जिसमें किसी भी देश या समाजके सभी लोगों के कल्याण को आधार बनाया जाता है। समाज में अहिंसा और शांति पर आधारित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना सर्वोदय का सिद्धान्त है।

स्टार्स एण्ड स्ट्राइप्स :

यह अमेरिकी झण्डे का नाम है।

शक्ति पृथक्करण :

शासन की शक्तियों का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य सुस्पष्ट विभाजन और किसी इकाई के द्वारा अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाना शक्ति पृथक्करण (Separation Of Powers) कहलाता है।

श्रम संघवाद :

समाजवाद का एक प्रकार जिसके अनुसार सभी उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण संघों के पास होना चाहिए। प्रारंभिक रूप से यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस में विकसित हुई। प्लूटियर तथा सोरेल इसके मुख्य प्रतिपादक थे।

स्नैप पोल :

जब राष्ट्रपति द्वारा संसद को अथवा राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल को अचानक भंग कर दिया जाता है और थोड़े समय के नोटिस पर ही चुनाव करा दिए जाते हैं, तो ऐसे चुनावों को "Snap Poll" कहते हैं। 1971में लोकसभा का भंग होना तथा विधानसभाओं का अक्सर मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग किया जाना और चुनाव कराना "स्नैप पोल" के उदाहरण हैं।

सीमित राजतंत्र :

यह शासन की वह प्रणाली है, जिसमें सम्राट या सम्राज्ञी केवल नाममात्र का शासक रह जाए। इसे "सांविधानिक राजतंत्र" भी कहते हैं। इसमें वास्तविक शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ रहती है।

सह-अस्तित्व :

जब दो देशों की शासन व्यवस्था, धर्म, सभ्यता, विचारधारा, अर्थव्यवस्था, निहित स्वार्थ आदि भिन्न हों और वे परस्पर एक-दूसरे देश का अस्तित्व स्वीकार करते हों तो उसे सह-अस्तित्व (Co-existence) कहा जाता है।

संकल्प :

सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मामला किसी सदस्य द्वारा सदन में चर्चा के लिए संकल्प एक प्रक्रियागत उपाय है। संकल्प मूल प्रस्ताव के रूप में सिफारिश की घोषणा संदेश देने, स्थिति की ओर आकृष्ट करने तथा निवेदन के रूप में होता है।

समग्र क्रांति (Total Revolution)

जय प्रकाश नारायण द्वारा समाज में नई चेतना द्वारा हर स्तर पर तेजी से सुधार करना है। दूसरे शब्दों में, ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिनके द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय तथा सामाजिक सम्मान हर व्यक्ति को समाज में प्राप्त हो सके।

साम्राज्यवाद :

जब किसी देश द्वारा अपने राज्य क्षेत्र के विस्तार की नीति अपनायी जाती है, तो वह नीति "साम्राज्यवाद" (Imperialism) की नीति कहलाती है। इस नीति के अंतर्गत वह किसी अन्य देश को आक्रमण द्वारा परास्त करता है। उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर उस देश का शोषण करता है।

सामंतवाद :

इस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपने वफादार राजभक्तों को राज्य की सेवा के बदले में राज्य की भूमि को अनुदान स्वरूप देता था। अनुदान प्राप्त करने वाले राजभक्त अपने वफादारों के लिए भूमि निर्धारित करते थे। राजा बड़े सामंतों से भूमि के लिए लगान वसूली करता था, जबकि बड़े सामंत छोटे सामंतों से तथा छोटे सामंत किसानों का निर्दयता से शोषण करते थे।

संघीय राज्य :

जब छोटे-छोटे इकाई राज्य मिलकर एक इकाई राज्य की स्थापना इस प्रकार करते हैं कि कुछ सम्मिलित कार्य नवनिर्मित राज्य को सौंप देते हैं तथा शेष कार्यों के लिए वे स्वतंत्र रहते हैं, तो इसे "संघीय राज्य" (Federal State) कहा जाता है।

सर्वहारा :

वह वर्ग जिसके पास वैयक्ति संपत्ति बिल्कुल नहीं है तथा जो अपने श्रम को बेचकर जीवन यापन करता है, "सर्वहारा वर्ग" (Proletariat Class) कहलाता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व :

संसदीय शासन प्रणाली की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से सरकार के प्रत्येक निर्णय और कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि उनकी नीतियों को संसद का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है।

हंग पार्लियामेंट :

ऐसी संसद जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो लंबित अथवा "हंग पार्लियामेंट" (Hung Parliament) कहलाती है। ऐसी स्थिति में दल-बदल को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है तथा स्थायी सरकार नहीं बन पाती।

हॉट लाइन :

जब दो देशों के नेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके बातचीत करते हैं या उच्च स्तरीय बातचीत का प्रबंध करते हैं, ताकि एक-दूसरे की भावना या नीयत समझने में त्रुटि न हो जिससे भविष्य में भयंकर परिणाम न हों, इस दूरभाषा व्यवस्था को "हॉट लाइन" कहते हैं।

अध्यक्षीय व्यवस्था :

ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसमें राज्य का प्रधान अर्थात् "Head of the state" और शासन का प्रधान "Head of the Government" एक ही होता है, उसे अध्यक्षीय व्यवस्था(Presidential system) कहा जाता है। इस व्यवस्था में अध्यक्ष(राष्ट्रपति) का कार्यकाल निश्चित होता है और जिसमें अध्यक्ष (राष्ट्रपति) अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति नहीं, अपितु जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

अधिनायक तंत्र :

इस तंत्र में सारी सत्ता शक्ति व्यक्ति विशेष में केन्द्रित होती है। इसे निरंकुश शासन तंत्र से भी अभिहित किया जाता है। यह किसी व्यक्ति अथवा दल या सेना द्वारा सत्ता संभालने की राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। अधिनायक तंत्र को अंग्रेजी में "Dictatorship" कहा जाता है।

अराजकता एवं अराजकतावाद :

अराजकता का सर्वसामान्य अर्थ "अव्यवस्था" है। ऐसे देश में जहां कोई सरकार नहीं होती अथवा होने पर भी कानूनका शासन नहीं होता, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। अराजकतावाद (Anarchism) एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके समर्थक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस सिद्धांत को अराजकता की संज्ञा दी जाती है।

अलगाववाद :

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "अलगाववाद" (Isolationism) का तात्पर्य है – अन्य देशों से राजनीतिक और कूटनीतिक मसलों पर किसी देश द्वारा (प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस नीतिका अनुसरण किया गया) अपने को अलग या पृथक रखने की नीति। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका तात्पर्य- राष्ट्र की एकता व अखण्डता के विरुद्ध जाने का प्रयत्न करना है।

अल्टीमेटम :

जब किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को यह चेतावनी दी जाती है कि यदि निश्चित अवधि में उसकी मांग पूर्ण न की गई तो अगला कदम उठाया जा सकता है। इसे ही "अल्टीमेटम" (Ultimatum) कहा जाता है।

ऑस्टोपोलिटिक :

यह नीति पश्चिमी जर्मनी द्वारा अपनाई गई। इस नीति के अंतर्गत पहले उसने साम्यवादी देशों से शीत युद्ध छेड़ा। तत्पश्चात् उनसे मित्रवत् संबंध कायम करने की दिशा में कदम बढ़ाए।

प्रश्नकाल (Question Hour) :

साधारणतया विधायिका का सत्र प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के आरंभ में एक घण्टे तक सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। भारत में 11 बजे से 12 बजे दोपहर तक के एक घण्टे का समय प्रश्नकाल का होता है।

पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) :

प्रश्नकाल में जिस समय कोई मंत्री उत्तर देता है, उसी के तुरंत बाद सदस्यगण मुख्य प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है।

तारांकित प्रश्न (Starred Questions) :

संसद सदस्यों द्वारा सदन में मंत्रियोंसे पूछे गए इस श्रेणीके प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों द्वारा "मौखिक" रूप से दिया जाता है तथा सदस्य द्वारा उस संबंधमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न :

संसद सदस्यों द्वारा सदन में मंत्रियों से पूछे गए इस प्रकार के प्रश्नों का "लिखित" उत्तर दिया जाता है तथा जिनके संबंध में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

अध्यादेश –

जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन न चल रहा हो तथा किसी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य प्रमुख द्वारा जारी किया गया संविधानिक आदेश "अध्यादेश" (Ordinance) कहलाता है। यह निश्चित अवधिके लिए होता है तथा इसे मानने के लिए बाध्यता होती है।

आयरन करटेन –

यह शब्द प्रायः साम्यवादी देशोंके लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इन देशों में अनेक प्रतिबंध जैसे कि, नागरिक स्वतंत्रता पर रोक आदि होती है।

ऑम्बुड्समैन :

इस शब्द का प्रयोग स्वीडिश राज व्यवस्था में प्रयोग उस सतर्कता अधिकारी के लिए किया जाता है, जो सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त सरकार के विरुद्ध जन-सामान्य की शिकायतों पर सुनवाई करता है।

अधिहनन :

एक देश जब किसी अन्य देश की भूमि अथवा किसी ऐसे क्षेत्र पर जिस पर किसी का अधिकार न हो, अपना आधिपत्य कर लेता है तो यह प्रक्रिया अधिहनन (Annexation) कहलाती है। यह तात्कालिक व एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत आती है।

अधिकार-पृच्छा :

यह प्रलेख (आदेश) न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद का दावा करता है अथवा उसे हड़प लेता है। इसके माध्यम से न्यायालय यह जाँच करता है कि व्यक्ति किस अधिकार के अंतर्गत अपने दावे का समर्थन करता है।

अनुषंगी प्रस्ताव :

विभिन्न प्रकार के कार्यों की आगे की कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में सदन की प्रथा द्वारा मान्यता दी जाती है। ये सहायक प्रस्ताव के रूप में विधेयक पर चर्चा, प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपने, विधेयक पारित किए जाने के संबंधित होते हैं, इन्हें अनुषंगी प्रस्ताव (Anciliary Motions) कहा जाता है।

अनिर्धारित प्रस्ताव :

अध्यक्ष द्वारा जिस प्रस्ताव को बहस के लिए स्वीकार किया जाता है, किन्तु बहस के लिए कोई दिन या तिथि निर्धारित नहीं किया गया है, वह अनिर्धारित प्रस्ताव (No Day-yet-Named Motion) कहलाता है।

अल्पसूचना प्रस्ताव :

संसद का कोई सदस्य सार्वजनिक महत्त्व तथा अविलम्बनीय मामले पर मौखिक उत्तर हेतु 10 दिन से कम समय की सूचना दे सकता है। सामान्यतया प्रश्न पूछने हेतु सूचना की न्यूनतम अवधि 10 दिन होती है।

अनुदान मांगें:

संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमान संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते। अन्य अनुमानों को लोकसभा के सामने अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाता है और लोकसभा किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान :

विनियोग विधेयक के अंतर्गत किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने हेतु प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पायी जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में छूट गयी किसीनई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गयी हो अथवा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गयी रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया हो, तो ऐसी मांगों को अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांगों के रूप में रखा जाता है।

ग्लासनोस्त और प्रेरेस्त्रोइका (Glasnost and Perestroika)

सोवियत संघ में 1985 से 1990 का काल ग्लासनोस्त और प्रेरेस्त्रोइका का काल था। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव द्वारा प्रयुक्त "ग्लास्नोस्त" का अर्थ होता है – खुलापन (Openness) इस शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित सोवियत समाज और अथव्यवस्था को ज्यादाअंतःक्रियात्मक (Interactional) स्वतंत्रता दिए जाने के संदर्भ में किया गया। तत्कालीन सोवियत नेता गोर्बाच्योव द्वारा प्रयुक्त "प्रेरेस्त्रोइका" का शब्दिक अर्थ होता है – पुनर्रचना (Restructuring)। इसका प्रयोग सोवियत समाज में खुलापन लाकर पुनर्रचित करने के संबंध में किया गया।

अपवादानुदान :

अपवादानुदान वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं होता। यह सरकार को विशेष प्रयोजन हेतु अपवादानुदान के रूप में निश्चित धनराशिसदन द्वारा जाती है।

आकस्मिकता निधि :

भारतीयसंविधान के "अनुच्छेद-267" के अंतर्गत "भारत की आकस्मिकता निधि" के नाम से एक कोष स्थापित करती है, जिसमें विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाती है। इस कोष को आकस्मिक व्यय हेतु राष्ट्रपति के व्ययाधीन रखा जाता है।

अंतःस्थ राज्य :

दो बड़े राष्ट्रों के बीच जब एक छोटे राष्ट्र को स्थापित व परिरक्षित किया जाता है, जो कि दोनों राष्ट्रों के प्रत्यक्ष टकराव को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस प्रकार का राष्ट्र अंतःस्थ राज्य (Buffer State) कहलाता है।

आधे घण्टे की चर्चा:

संसद का कोई सदस्य जब ऐसा महसूस करता है कि तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न या अल्पसूचनाप्रश्न पर प्राप्त उत्तर में अपेक्षित जानकारी नहीं है या तथ्यों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तब अध्यक्ष/सभापति सदन के सदस्यों को आधे घण्टे चर्चा करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

अल्पकालीन चर्चाएं :

किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा उठाए गए अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के केन्द्र सरकार से संबंधित मामले पर अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चा के लिए बैठक की समाप्तिपर या उसके पूर्व एक घण्टे का समय नियत कर सकता है। इस प्रकार की सूचना ग्राह्य करने के बाद दिन निश्चित कर चर्चा के लिए उसे कार्य सूची में दर्ज कर लिया जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है, जिसमें प्राप्त मतों के अनुपात में किसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस पद्धति में यह भी सुनिश्चित किसी जाता है कि निर्वाचितव्यक्तियों की संख्या मतदान में उनके सर्वाधिक मतों के अनुपात में रहे। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति द्वारा किया जाता है।

अधिरोध लगाना :

अधिरोध (Embargo) के अंतर्गत यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विश्व समुदाय द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

ओलीगॉर्की :

जब वर्गीय हित के दृष्टिगत कुलीन तंत्रीय शासन कार्य करता है, तो उसे ओलीगॉर्की (Oligarchy) कहा जाता है।

उपनिवेशवाद :

इसकी प्रकृति प्रायः साम्राज्यवादी होती है तथा जब किसी देश द्वारा किसी देश पर अधिकार व शासन एवं इस प्रकार शासित देश के अधिकारों का हनन, स्वतंत्रता का दमन, इसकी उत्पादकता का शोषण तथा उसकी सभ्यता व संस्कृति की परतंत्रता आदि उपनिवेशवाद (Colonialism) के अंतर्गत आते हैं।

उत्तरदायी सरकार :

उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) को संसदीय या मंत्रीमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। शासन की इस पद्धति में कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

उदारवाद :

मानवतावादी लोगों या दलों की विचारधारा उदारवाद कहलाती है। ये मध्यम मार्ग अपनाना चाहते हैं। ये राज्य का अधिक नियंत्रण नहीं चाहते। एकाधिकार का विरोध करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पसंद करते हैं तथा शांति के पक्ष में होते हैं व लोकतंत्रीय पद्धति में विश्वास करते हैं।

उपचुनाव :

जब किसी स्थान के लिए मृत्यु, त्याग-पत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त होने पर विशेष चुनाव होता है, तो उसे उपचुनाव (By-election) कहते हैं।

उत्प्रेषण :

जब कोई न्यायाधिकरण बिना अधिकारिता के या उसका उल्लंघन करके कार्य करता है और कोई अवैध आदेश जारी करता है, तो उत्प्रेषण की रिट द्वारा उसे उद्द किया जा सकता है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single transferable Vote System)

यह एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को सभी उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद का क्रम व्यक्त करना होता है। निर्वाचित किए जानेके लिए मतों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत मतदाता उतने मत दे सकता है जितने कि उम्मीदवार हैं।

इस प्रणाली में विजयी घोषित करने का तरीका :

कुल प्राप्त मतों की संख्या को दो से विभाजित कर भागफल में एक जोड़ने से प्राप्त संख्या न्यूनतम संख्या मानी जाती है। मतों की गिनती में यदि प्रथम पसंद की गिनती में ही कोई उम्मीदवार निर्धारित मत के बराबर मत प्राप्त कर लेता है, तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है व अन्यथा प्रथम पसंद में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतगणना से अलग कर दिया जाता है और उस निष्काषित उम्मीदवार को मिले मत पत्रों में द्वितीय पसंद के आधार पर जिन-जिन उम्मीदवारों को जितनी संख्या अंकित की गई है, उतने मत उनकी प्रथम पसंद के मतों की संख्या में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार का संक्रमण किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेने तक चलता रहता है। यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का तरीका है।

एन्वाय :

एक देश के अधिकाधिक प्रतिनिधि जब अन्य देश को मनोनीत किए जाएं तो उसे “Envoy” कहा जाता है। इसे विशिष्ट कार्य के लिए भी भेजा जा सकता है।

एक्स्ट्राडिक्शन :

एक देश या सरकार द्वारा दूसरे देश या सरकार को उसके अपराधी को न्यायिक जाँच तथा दण्ड के लिए सौंप देना “Extradition” कहलाता है।

एमनेस्टी :

जब कोई सरकार विद्रोहियों या कैदियों को सामान्य रूप से क्षमा कर देती है तथा छोड़ देती है, तो उसे "एमनेस्टी" (Amnesty) कहते हैं।

कॉन्फेडरेशन :

दो या दो से अधिक देशों का आपस में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिल जाना "Confederation" कहलाता है। यह परिसंघ (Federation) से इस मायने में भिन्न होता है, कि परिसंघ की स्थापना "लिखित संविधान" के अंतर्गत होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, न्यायालय स्वतंत्र होता है। परिसंघ इकाई राज्यों से सीधा संपर्क रखती है। कॉन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। संबंध इकाई स्तर पर होते हैं तथा इकाइयां कभी भी पृथक नहीं हो सकती हैं, जबकि परिसंघ का सीधी नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सकता।

कॉन्डोमीनियन :

किसी देश के ऊपर अन्य दो बाहरी देशों या ताकतों द्वारा प्रभुसत्ता का उपयोग करना "Condominium" कहलाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन तथा मिश्र का पूर्व में सूडान पर "कॉन्डोमीनियन" था।

कन्वेंशन :

किसी विशिष्ट विषय पर वार्ता करने हेतु जो सम्मेलन आहुत किए जाते हैं, उन्हें "Convention" कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में शासन प्रणाली परम्पराओं पर आधारित (इसे "Constitutional Convention" कहा जाता है) है। यद्यपि इसका राजनीतिक महत्व है, तथापि न्यायालय द्वारा इन्हें मान्यता नहीं दिया जाता।

कन्टेनमेंट :

किसी देश या विचारधारा के प्रभाव को राजनीति में फैलने से रोकनेको "Containment" कहा जाता है।

कर्फ्यू :

किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के लिए जन सामान्य की आवाजाही पर सरकार या प्रशासन द्वारा प्रतिषेध लगाया जाना “Curfew” कहलाता है।

कूप :

जब किसी सरकार को किसी विद्रोही गतिविधि, सैन्य कार्यवाही या गुट द्वारा गुप्त रूप से अचानक गैर-कानूनी तरीके से उखाड़ फेंका जाता है तथा उसकी जगह नई सरकार स्थापित की जाती है तो इस घटना को “Coupe” (तख्ता पलटना) कहते हैं।

कोरम :

किसी संस्था की किसी सभा की कार्यवाही के लिए औपचारिक रूप से कम से कम सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता को “Quorum” कहते हैं। इसके अभाव में कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है।

गणराज्य :

जिस देश में राज्य के प्रधान का पद वंशानुगत (Hereditary) न होकर निर्वाचित (Elected) होता है, उसे गणराज्य (Republic) तथा व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है।

गुलोटीन (Guillotin)

संसद की कार्य मंत्रता समिति बजट सहित सभी अनुदान मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहुई हो उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जिसमें अधिकांश मांगें बिना चर्चा के पारित हो जाती है। गुलोटीन कहा जाता है।

गुलोटीन सिर काटने का एक उपकरण था : 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में फ्रांस में “गुलोटीन” फ्रांसी पर चढ़ने वालों के सिर काटने का एक उपकरण था। वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। इसका आविष्कार फ्रांसीसी क्रांतिकाल में शीघ्रता से वध करने की दृष्टि से गुलोटीन नामक व्यक्ति ने किया था। सर्वप्रथम उपकरण के निर्माता को ही उस पर फांसी दी गई थी।

गुरुभार :

किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या से अधिक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना गुरुभार (Weightage) कहलाता है।

गन बोट डिप्लोमैसी :

जब कोई देश दूसरे देश को अपने राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति का भय दिखाता है, तो इस कूटनीति को “Gun Boat Diplomacy” कहा जाता है।

गेलप पोल :

यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी समस्या के लिए संपूर्ण जनसंख्या के विचारों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का नमूना बनाकर संपूर्ण जनसंख्या से अभिमत कराया जाता है। एक प्रकार से यह “ओपिनियन पोल” की प्रणाली के समतुल्य है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका स्थित (प्रिंसटन न्यूजर्सी) उस संस्था का नाम है, जो जनमत का सर्वे करती है। इसका नाम डॉ. जॉर्ज गेलप के नाम पर रखा गया।

गैरीमैन्डिंग :

अमेरिकी राज व्यवस्था के विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले “Gerrymandering” का आशय निर्वाचन क्षेत्रों के इस प्रकार पुनर्गठन से है, जिससे किसी दल विशेष के अधिकतम समर्थक एक ही निर्वाचन क्षेत्र की परिधि में आ जाए तथा उस दल के प्रत्याशी के विजय की संभावना बढ़ जाए।

गुरिल्ला वारफेयर :

युद्ध करने के इस तरीके में एक पक्ष छिपकर पीछे से या एक ओर से दूसरे पक्ष पर हमला करने के पश्चात् छिप जाता है। मराठों ने मुगल सेना के विरुद्ध इसी युद्ध शैली का प्रयोग किया था।

घेराव :

जब किसी मजदूर दल या राजनीतिक दल द्वारा किसी उद्योगपति या अधिकारी का घेराव किया जाता है या अनुचित तरीके से उसे दबाव देकर मांग पूरी कराने की कोशिश की जाती है, तो उसे घेराव (Picketing) कहते हैं।

घाटबंदी :

किसी विदेशी शक्ति के पातों को अपने क्षेत्र या बंदरगाहों में प्रविष्ट न होने देने की नीति घाटबंदी (Embargo) कहलाती है।

चार्ज डी. अफेयर्स :

राजदूत के स्थान पर जो व्यक्ति अल्पकाल के लिए काम करता है, उसे “Charge “d” Affairs” कहते हैं।

चोविनिज्म :

एक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी देश या समाज या वर्ग के लिए जो व्यर्थ व झूठी वफादारी प्रदर्शित की जाती है, उसे “Chuvinism” कहा जाता है। इसमें दूसरे देश, समाज या वर्ग के लिए घृणा का प्रदर्शन भी किया जाता है।

जिओनिज्म :

19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यहूदियों से संबंधित यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का (Zionism) उद्देश्य यहूदियों को फिलिस्तीन में “नेशनल होमलैण्ड फॉर ज्यूस” बनाने का अवसर देना था।

जनमत :

किसी राजनीतिक प्रश्न को सुलझाने हेतु राज्य के समस्त नागरिकों की राय जानना और उसी के अनुसार निर्णय करना जनमत (Plebiscite) कहलाता है।

जुंटा :

“Junta” एक स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ है – परिषद्। सामान्यतया इसका प्रयोग सैनिक सत्ता के संदर्भ में किया जाता है। इस परिषद् में एक समान पद के सभी विभागों के अधिकारी होते हैं जो सैनिक सत्ता की सभी प्रशासनिक इकाइयों को संतुलित रखने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। “जुंटा” में किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं रहता।

जीनोसाइड :

जान-बूझकर किसी देश में किसी धर्म, जाति व देश के लोगों का संहारकरना अथवा उनके लिए अत्यन्त भेदभावपूर्ण नीतियां पारित कर उनके अधिकारों को सीमित करना “Genocide” कहलाता है।

तानाशाही :

जिस शासन व्यवस्था में राज्य की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित कर दी जाती हैं और वह बिना दूसरों की परवाह किए अपने अनुसार कार्य करता है, तो वह व्यवस्था “तानाशाही” (Dictatorship) कहलाती है।

तटस्थता :

दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध में किसी प्रकार की सहभागिता न करना तटस्थता कहलाता है। तटस्थ राष्ट्र न ही किसी का समर्थन करता है, न ही किसी का विरोध और न ही उनकी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का उपयोग करता है।

तनाव शैथिल्य :

दो राष्ट्रों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों में नरमी या शिथिलता आने की नीतिगत स्थिति को तनाव शैथिल्य (Detente) कहते हैं (इस शब्द का प्रयोग 70 के दशक के प्रारंभ में चीन-अमेरिका एवं अमेरिका-सोवियत संघ के परिप्रेक्ष्य में किया गया)।

द्विपक्षीय समझौता :

जब दो पक्ष, दो दल या सरकारें आपस में कोई समझौता करते हैं तो वह द्विपक्षीय समझौता (Bilateral Pact) कहलाता है।

द्वैध शासन :

शासन का वह प्रकार जिसमें कार्यपालिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें एक भाग अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि दूसरा भाग नहीं होता है। इस प्रकार का शासन प्रांतों में ब्रिटिश सरकार द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1919" के अंतर्गत लागू किया गया था।

देशीकरण :

यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेश में जन्में व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ देश की नागरिकता (अर्थात् उसे नागरिक के सभी लाभ) प्रदान कर दी जाती है।

द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)

कार्ल मार्क्स द्वारा समाज के विकास के क्रम के आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण हेतु अपनाई गई पद्धति को द्वन्द्ववात्मक भौतिकवाद कहते हैं। इसके अनुसार इस जगत में एकमात्र वास्तविकता "पदार्थ" (Matter) है जो निरंतर गतिशील है। इसका विकास सीधी रेखा में न होकर दो-विपरीत स्थितियों में द्वन्द्व के माध्यम से टेढ़ी-मेढ़ी रेखा में होता है।

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका :

जिस व्यवस्थापिका : जिस व्यवस्थापिका में दो सदन अर्थात् उच्च सदन व निम्न सदन होते हैं, उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं।

ध्रुवीकरण :

एक विचारधारा के लोगों का एक दल या समूह के नीचे एकत्रित होना ध्रुवीकरण (Polarization) कहलाता है।

धार्मिक राज्य :

एक ऐसा राज्य जिसमें धर्म विशेष के नियमों के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है, उसे धार्मिक राज्य (Theocratic State) या धर्म सापेक्ष राज्य कहा जाता है।

धर्म निरपेक्षता(Secularism)

धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य उस सिद्धान्त से है, जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने का या उसकी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

टिप्पणी : भारतीय संविधान की उद्देशिका(Preamble) में "Secular" शब्द का हिन्दी पर्याय "पंथनिरपेक्ष" दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं :

इसके तहत अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर कोई सदस्य अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेकर किसी मंत्री का ध्यान दिलाता है तथा वक्तव्य की मांग करता है। मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य देता है अथवा बाद में किसी तिथि विशेष को वक्तव्य देने हेतु समय मांग सकता है।

धन विधेयक :

ऐसे सभी "वित्त विधेयक" धन विधेयक होते हैं जो संविधान के "अनुच्छेद 110" में उल्लिखित मामलों से संबंधित हों तथा जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष इस आशय का प्रमाण दे दे।

नॉन-एग्रेसन पैक्ट :

जब दो या उससे अधिक देश यह समझौता करें कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो उसे "अनाक्रमण संधि"(Non-Aggression Pact) कहते हैं।

नौकरशाही :

ऐसी सरकार जो नागरिक (लोक) सेवकों द्वारा चलाई जाती है या जिसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर हर बात के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उस व्यवस्था को नौकरशाही (Bureaucracy) कहते हैं। इस व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व हो जाता है।

निषेधाधिकार :

यह नियमानुमोदित अधिकार है। किसी संस्था द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य करके निर्णय को निरस्त करने की व्यक्ति या संस्था में निहित शक्ति निषेधाधिकार (Veto) कहलाती है।

न्यूनतम चुनाव कोटा :

इसे निकालने की यह विधि है कि सर्वप्रथम अवैध मतों को निरस्त करके शेष वैध मतों का मत मूल्य निकाला जाता है और निकाले गए मत मूल्य को दो से विभाजित करके भागफल में एक जोड़ दिया जाता है।

निर्णायक मत :

पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला मत निर्णायक मत कहलाता है।

निर्वाचक मण्डल :

ऐसे व्यक्तियों का समूह या निकाय जो किसी संस्था के प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख चुने जाने के लिए नियुक्त, मनोनीत अथवा निर्वाचित किया गया हो, उसे निर्वाचक मण्डल (Electrol College) कहते हैं।

नियंत्रण व संतुलन :

सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को इस व्यवस्था द्वारा उनके निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है।

नव उपनिवेशवाद :

राजनीतिक उपनिवेशवाद के प्रायः समाप्त हो जाने के पश्चात् आर्थिक उपनिवेशवाद का जो युग प्रारंभ हुआ है, उसे नव उपनिवेशवाद (Neo-Colonialism) कहा जाता है। इसके मुख्यतया दो प्रकार हैं – 1. धनी व शक्तिशाली राष्ट्र अर्द्ध विकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर उन पर राजनीतिक दबाव डालकर अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, किसी देश पर अपना प्रभाव स्थापित कर उसकी आंतरिक व बाह्य नीति को प्रभावित करना।